

(7)

Name of Road - Construction of ~~Taknagunth~~ to Dada Malla M/R Under PMGSY

Annexure-23(A)

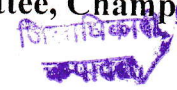
Office of the Districts Collector,
District- Champawat (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the District level Committee Constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) act (FRA), 2006

A meeting of the District Level committee of Champawat district (Uttarakhand) constituted under FRA 2006 was held the chairmanship of shri Dependra Kumar Chaudhari (IAS), District Magistrate Champawat (Uttarakhand) On ~~28-02-2015~~ at ~~12:00 P.M.~~ Champawat in which the application claiming rights in Kaknai, Danda Malla Village in Tashil Siri Poornagiri Area measuring ~~09.14~~ hec for the construction of ~~Taknagunth~~ to Dada Malla M/R Under PMGSY Champawat of the forest FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub- Division Level committee of Siri Poornagiri tahsil were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After Scrutiny of the Documents and Detailed discussion. No objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee reommends the above case diversion to the land for the said purpose.


(D.K. Chaudhari) I.A.S)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committee, Champawat.



(6)

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत
4487 दिनांक 28.2.15

(1.6)

Name of Road - Construction of Taknagunth to Dada Malla M/R Under PMGSY

Annexure-I

FROM-1

Government of Uttarakhand
Office at the district collector Champawat

No..1982

Date 28.2.15

TO WHOWSOEYER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter.No.11-9/98-FG (pt) date 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest rights)Act,2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that ~~09.14~~ hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **PMGSY Lohaghat** (Champawat) (name of user agency) for **Construction of Taknagunth to Dada Malla M/R Under PMGSY** (Purpose for diversion of forest land) in Champawat district falls within jurisdiction of Kaknai, Danda Malla village(s) in Siri Poornagiri Tehsils. It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 09.14 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s) Gram Sabah(s) sub Division level committee(s) and the District level committee are enclosed as annexure 1 to 5 annexure (a) to (e)
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabah's have given their consent to it
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre agricultural communities.

Encl: As above.

[Signature]
Signature
(Full name and official seal of the District Collector;

जिलाधिकारी
चम्पावत

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई फेज-8 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 16000 कि0मी0

कार्यालय उप जिलाधिकारी श्री पूर्णागिरी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी
सी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण -पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति चम्पावत।

उपखण्ड चम्पावत परिक्षेत्र के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई फेज-8 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 2.940 हे0 सिविल सोयम भूमि 4.200 हे0, वन पंचायत भूमि 0 हे0) अर्थात् कुल 09.14 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग (कार्यदायी संस्था सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई लोहाघाट) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील श्री पूर्णागिरी) की दिनांक 23-01-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जसवंत सिंह राठौर, उप जिलाधिकारी श्री पूर्णागिरी, एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री जयवंत सिंह राठौर, उपजिलाधिकारी श्री पूर्णागिरी - अध्यक्ष
- 2- श्री प्रकाश चन्द शर्मा, उप प्रभागीय वनाधिकारी शारदा - सदस्य
- 3- श्री सहायक समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत - सदस्य/सचिव
- 4- श्री अनुराग बिरा, बी0डी0सी0 क्षेत्र कक-12 - सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

“ जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई फेज-8 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना हेतु 09.14 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग (कार्यदायी संस्था सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई लोहाघाट) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी शारदा रैल् द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वनधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

(9)

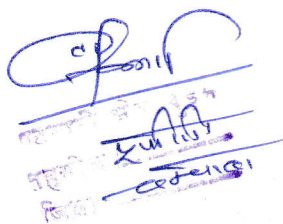
(C)

बैठक में सर्वसम्मिति से उपखण्ड पाटी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई फेज-8 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 09.14 हे० वन भूमि का सीमा सड़क संगठन, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त कर गयी।



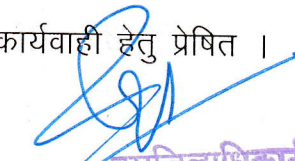
उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील श्री पूर्णागिरी, जनपद चम्पावत

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



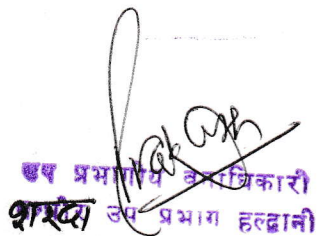
उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील श्री पूर्णागिरी, जनपद चम्पावत

तहसीलदार
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील श्री पूर्णागिरी, जनपद चम्पावत



उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील.....
जनपद.....

अनिराम (क्षेत्र प्रशासक)
तहसील श्री पूर्णागिरी, जनपद चम्पावत



उप प्रभाग प्रशासक
क्षेत्र उप प्रभाग हलद्वानी

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई फेज-8 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 16000 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम- ककनई, डाडामीनार
तहसील- श्री पूर्णागिरी, जिला- चम्पावत।
अनापत्ति प्रमाण पत्र

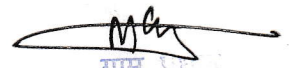
जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में पी0एम0जी0एस0वाई फेज-8 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण में (आरक्षित वन भूमि 2.940 हे0 सिविल सोयम भूमि 4.200 हे0, वन पंचायत भूमि 0 हे0) अर्थात् कुल 09.14 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग (कार्यदायी संस्था सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई लोहाघाट) के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ~~ककनई~~ ^{ककनई}, डाडामल्ला द्वारा दिनांक 23-01-15 को सम्पन्न ग्राम सभाओं/ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ककनई, डाडामल्ला के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग (कार्यदायी संस्था सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई लोहाघाट) प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव


ग्राम पंचायत
ह0/-
ग्राम प्रधान

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है। तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। - आदिवासियों की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई फेज-8 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 16000 कि0मी0

दिनांक 23-01-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ककनई, डाडामीनार

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्रीधरसिंह प्रधान ककनई	
2	विशनासिंह	
3	केदारसिंह	
4	दिवातासिंह	
5	सीता देवी	
6	पारवती देवी	
7	भवतासिंह	
8	दलीपसिंह	
9	वरमराम	
10	दलीपराम	
11	अनीराम B.O.C	
12	केदारसिंह	
13	लक्ष्मणसिंह	
14	मानसिंह	
15	मिमसिंह	
16	हयातासिंह	
17	स्वल्पसिंह	
18	प्रेमसिंह	
19	पंचमसिंह	

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत ककनई मल्ला
पि0एम0जी0एस0वाई

अधिकारी अभियंता
पि0एम0जी0एस0वाई
सिंचाई विभाग, लोहापाट

अधिकारी अभियंता
पि0एम0जी0एस0वाई
सिंचाई विभाग, लोहापाट (चम्पावत)

प्रारूप-30.4

दिनांक 23-01-2015 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत ककई

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री प्रेमसिंह S/o कनैयासिंह	प्रेमसिंह
2.	मजूमदार सिंह S/o ध्यानासिंह	मजूमदार सिंह
3.	स्वाप्नासिंह S/o ध्यानासिंह	स्वाप्नासिंह
4.	ध्यानासिंह S/o श्री गणेश	ध्यानासिंह
5.	केदारसिंह S/o दानासिंह	केदारसिंह
6.	तेजासिंह S/o शंकरासिंह	तेजासिंह
7.	मानसिंह S/o फतेह सिंह	मानसिंह
8.	विहार्द सिंह S/o प्रेमसिंह	विहार्द सिंह
9.	महान सिंह S/o देवासिंह	मोहनसिंह
10.	प्रज्जालसिंह S/o	प्रज्जालसिंह
11.	बन्नीसिंह S/o मनोहर सिंह	बन्नीसिंह
12.	मानसिंह S/o जय सिंह	मानसिंह
13.	सुबकरसिंह S/o सुबकरसिंह	सुबकरसिंह
14.	उमदासिंह S/o श्री देवासिंह	उमदासिंह
15.	मोहन सिंह S/o श्री देवासिंह	मोहन सिंह
16.	जोधसिंह S/o श्री देवासिंह	जोधसिंह
17.	हरीश सिंह S/o सन्तोषसिंह	हरीश सिंह
18.	श्याम सिंह S/o सन्तोषसिंह	श्याम सिंह
19.	सन्तोष सिंह S/o देवासिंह	सन्तोष सिंह
20.	नारायणसिंह S/o देवासिंह	नारायणसिंह
21.	रतन सिंह S/o रामसिंह	रतन सिंह
22.	कल्याण सिंह S/o श्री देवासिंह	कल्याण सिंह
23.	श्याम सिंह S/o पुन सिंह	श्याम सिंह
24.	इश्वर सिंह S/o फतेह सिंह	इश्वर सिंह

प्रारूप—

परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई0, फेज-16 के अन्तर्गत टकनागूठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग का निर्माण, लम्बाई 16.000 कि0मी0।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम:- ककनई, डांडामल्ला
तहसील- श्री पूर्णागिरी, जिला-चम्पावत
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चम्पावत के अन्तर्गत टकनागूठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (5.220 हे0 नाप भूमि, 3.940 हे0 आरक्षित वन भूमि, 5.200 हे0 सिविल सोयम वन भूमि) अर्थात् कुल 18.280 हे0 वन भूमि का पी0आई0यू0, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ककनई, डांडामल्ला द्वारा दिनांक 23-01-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ककनई, डांडामल्ला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टकनागूठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग (16.000 किमी0) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि को वनविभाग को हस्तान्तरित एवं चयनित भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने में ग्रामवासी कोई आपत्ति नहीं है।

मक डिस्पोजल हेतु चयनित भूमि पर मलबा डालने में ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त चयनित भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, शमशान घाट, कब्रिस्तान, चर्च आदि स्थित नहीं है, तथा इस भूमि को किसी भी प्रकार के सार्वजनिक उपयोग में नहीं लायी गई है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव

ह0/-

ग्राम प्रधान

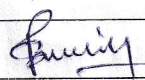
सत्यदेवी
ग्राम प्रधान
डांडा ग्राम पंचायत डांडा मल्ला
वि0/ख0/ चम्पावत

कौशलयादेवी
सरपंच
वन पंचायत डांडा

प्रारूप-30.4

दिनांक 23-01-15 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत डा/डा मल्ला

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री प्रेमसिंह बौरा	
2-	श्री हयातसिंह	हयात सिंह
3-	श्री प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
4-	श्री कुन्दन सिंह	कुन्दन सिंह
5-	श्री कमल सिंह राम	कमल राम
6-	श्री विजय लाल	विजय लाल
7-	श्री लक्ष्मण राम	लक्ष्मण राम
8-	श्री बन्नी राम	बन्नी राम
9-	श्री गोविन्द राम	गोविन्द राम
10-	श्री राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
11-	श्री सुरेश सिंह	सुरेश सिंह
12-	श्री जगदीश राम	जगदीश राम
13-	श्री राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
14-	श्री रमेश राम	रमेश राम
15-	श्री देव राम	देव राम
16-	श्री पान सिंह बिष्ट	पान सिंह बिष्ट
17-	श्री मती लाल देवा	मती लाल देवा
18-	श्री रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
19-	श्री भारत सिंह	भारत सिंह
20-	श्री महापुष्पा देवा	महापुष्पा देवा
21-	श्री कुन्दन सिंह	कुन्दन सिंह
22-	श्री राज सिंह	राज सिंह
23-	श्री मनोज सिंह	मनोज सिंह
24-	श्री विवेक सिंह	विवेक सिंह

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
25.	श्री लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मण सिंह
26.	श्री पाल सिंह	पाल सिंह
27.	श्री कुन्दन सिंह	कुन्दन सिंह
28.	श्री शिवजी सिंह	शिवजी सिंह
29.	श्री गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
30.	श्री कृष्ण सिंह	कृष्ण सिंह
31.	श्री कृष्णराम	कृष्णराम
32.	श्री दिवान सिंह	दिवान सिंह
33.	श्री हरराम	हरराम
34.	श्री नारायण सिंह	नारायण सिंह
35.	श्री गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
36.	श्री प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
37.	श्री कृष्णराम	कृष्णराम
38.	श्री प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
39.	श्री विक्रम सिंह	विक्रम सिंह
40.	श्री नाना सिंह	नाना सिंह
41.	श्री हनुमान सिंह	हनुमान सिंह
42.	श्री ब्रह्म सिंह	ब्रह्म सिंह
43.	श्री लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मण सिंह
44.	श्री मान सिंह	मान सिंह
45.	श्री उमेश सिंह	उमेश सिंह

46.	श्री विर-राम सिंह	श्री गिरधर सिंह
47.	श्री लालाश सिंह	लालाश सिंह
48.	श्रीमती बलदेवी देवी	बलदेवी देवी
49.	श्री पार्वती देवी	पार्वती देवी
50.	श्री देव सिंह	देव सिंह
51.	श्री चतुर सिंह	चतुर सिंह

ह0/-

ग्राम प्रधान

खजरी देवी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत डांडा मल्ला
वि०/ख०/ चम्पावत

श्री राजा देवी
सरपंच
वचपंचायत दांडा